

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (85) वन / 2021

जयपुर, दिनांक:—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District – Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan (Proposal No. : FP/RJ/OFC/45721/2020)

संदर्भ:— आपका पत्रांक 14(408/37)2020/एफसीए/प्रमुवसं/108 दिनांक 10.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में DINESH ENGINEERS LTD द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km हेतु 0.1325 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई थी। इस क्रम में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.11.2021 द्वारा प्रसारित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसरण में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, राजस्थान पत्रांक 14(408/37)2020/एफसीए/प्रमुवसं/108 दिनांक 10.01.2024 द्वारा अनुपालना प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रेषित अनुपालना पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.1325 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd for Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS - 0/0 to KMS 56.262 = 56.262 km (Badi Sadri - Tekan Road) District – Chittorgarh & Udaipur, Rajasthan (Proposal No : FP/RJ/OFC/45721/2020) की विधिवत स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:—

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिष्कव होने पर, वन विभाग के होगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास गृजात्मक/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान **RajKaiRef 5616500** तो रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जगह नामिक विधिवत Special Secretary To Government Date: 2024.02.12 द्वारा प्राप्त अनुमति से विधिवत अनुपालन कराया जावेगा।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अन्तर्गत आपूर्ति की जगह नामिक विधिवत Special Secretary To Government Date: 2024.02.12 द्वारा प्राप्त अनुमति से विधिवत अनुपालन कराया जावेगा।

कार्यालय पता:— वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या— 0141—2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Inprincipal Approval/Diversion/ JT. Secy.forest/Ajay Documents FCA/Stage I

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
10. सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 15.11.2021 में वर्णित शर्तों की सभी सम्बन्धित द्वारा पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायेगी।
11. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।
12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त की अनुपालन नहीं होने अथवा असंन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीया,

(मोनाली सेन)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी—ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़।
6. दिनेश इंजीनियर्स लिमिटेड, डी.ई.पी.एल. हाउस, नेवरहुड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 4, नेरुल (पश्चिम), नवी मुंबई, जिला मुंबई सिटी, महाराष्ट्र।
7. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव, वन

Signature valid

RajKaj Ref
5616500

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2024.02.12 16:03:10 IST
Reason: Approved